इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019—अग्रहायण 8, शक 1941

# सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल. दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ-5-2-2019-पन्द्रह-1-बी.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

# उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(1) अनुक्रमांक 4 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

# "८. डिण्डोरी।"।

(2) अनुक्रमांक 6 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 6 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"७. आगर मालवा।"।

(3) अनुक्रमांक 7 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 5 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

<sup>†</sup>'6. निवाड़ी।''।

(4) अनुक्रमांक 9 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज सिन्हा, उपसचिव.

Bhopal, the 27th November 2019

No F 5-2/2019/XV-1-B :: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No.F-5-2-2010-XV-1-B dated 23<sup>rd</sup> October, 2010 namely:-

### **AMENDMENTS**

In the said notification, in the table,-

- (1) in serial number 4, in column (4), after serial number 7, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:"8. Dindori.".
- in serial number 6, in column (4), after serial number 6, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-"7. Agar Malwa.".
- (3) in serial number 7, in column (4), after serial number 5, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:"6. Niwari.".
- (4) in serial number 9, in column (4), serial number 4 and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, MANOJ SINHA, Dy. Secy.

#### भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ-5-2-2019-पन्द्रह-1-सी.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (5) में, अनुक्रमांक 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

- "40. आगर मालवा
- 41. निवाडी "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज सिन्हा, उपसचिव. Bhopal, the 27th November 2019

No F 5-2/2019/XV-1-C:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No.F-5-1-99-XV-1-C dated 26<sup>th</sup> July, 1999 namely:-

#### **AMENDMENT**

In the said notification, in the first Schedule, in column (5) against serial number 1, after serial number 39 and entry relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:-

"40. AGAR MALWA

41. NIWARI"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SINHA, Dy. Secy.